संख्या-01/2016/1095/86-2016-263/2015

प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना" के मानक मद" 02 मजदूरी में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-931/86-2016-263/2015, दिनांक 18.03.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना" के मानक मद" 02 मजदूरी हेतु भुगतान" के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि रू0 2492 हजार (रू0 चौबिस लाख बान्नवे हजार मात्र) की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हे कि सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 18.03.2016 के साथ संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के कालम-8 में अंकित धनराशि रू0 10747 हजार मात्र से कालम-11 में अंकित धनराशि रू0 2492 हजार मात्र को घटाते हुये कालम-12 में (संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग) रू0 8255 हजार मात्र की धनराशि अंकित की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनदेश सख्ंया-931/86-2016-263/2015, दिनांक 18.03.2016 साथ संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के कालम-8 में अंकित धनराशि रू0 10747 हजार मात्र से कालम-11 में अंकित धनराशि रू0 2492 हजार मात्र को जोडते हुये कालम-12 में (संक्रमण के पश्चात् उपलबध अनुदान/विनियोग) रू0 13239 हजार मात्र की धनराशि अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त संशोधन आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-149/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5. शासनादेश संख्या-931/86-2016-263/2015, दिनांक 18.03.2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

<u>संलग्नक: पुनर्विनियोग आदेश/प्रपत्र</u>

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1095(1)/86-2016 तददिनांक -:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार लेखापरिक्षा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

संख्या-1095/86-2016-263/15 दिनांक 21 मार्च, 2016

अनुदान संख्या व नाम-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)

वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा
लेखाशीर्षक (15 डिजीट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलबध अनुरदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाले धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर					
02-खानों का विनियमन तथा विकास					
004-अनुसंधान तथा विकास					
06-खनिज विकास की योजनायें					
0602 खनिज विकास की योजनायें					
42-अन्य व्यय	2700	2700	2700	2492	208
योग-2853(004) 0602	2700	2700	2700	2492	208

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा
लेखाशीर्षक (15 डिजीट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलबध अनुरदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित की जाने वाले धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर					
02-खानों का विनियमन तथा विकास001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना					
02-मजदूरी	10747	13447	2700	2492	13239
योग-2853(001) 03	10747	13447	2700	2492	13239

http://shasanadesh.up.nic.in

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नलिखित है :-

"0620-खनिज विकास की योजनायें" के मानक मद" 42-अन्य व्यय" में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु होलोग्राम पर्याप्त भण्डारण है, जिसके फलस्वरूप बचत सम्भावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रत्याशित व्यय के कारण निम्नांकित है :-

"03-खनन प्रशासन की योजना" के 02 मजदूरी के मद में आउट सोर्सिग के माध्यम से रखे गये कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के भूगतान तथा होमगार्ड भुगतान हेतु व्यय भार संचालित है। अत: इस मद में अतिरिक्त प्राविधान कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

हस्ताक्षर

सख्ंया-1095(1)/86-2016, दिनांक 21 मार्च, 2016

नाम व पदनाम (गेन्दन लाल)

संयुक्त सचिव

प्रशासकीय विभाग: भूत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ

आर0ई0सं0-560/ई-6/दस-20169

दिनांक 18.03.2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद

हस्ताक्षर

ह0

(अविनाश चन्द्र द्विवेदी)

नाम पदनाम संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग : वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन लखनऊ

संख्या- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, भूत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों सहित)

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम (गेन्दन लाल)

संयुक्त सचिव

प्रशासकीय विभाग: भूत्त्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से सम्बन्धित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव में लेखाशीर्षक के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाये।

2. जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पडेगा उनका वर्णन व्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हो, को सम्मिलित किया जाये।

4. प्रपत्र के कालम- 5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों अंकित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in